

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट ग्रामपंचायत सदापुर तहसील राजाखेडा

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 22/2017

उनवान प्रकरण

रधुनाथ पुत्र कुम्हेरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बरसला तहसील राजाखेडा जिला
धौलपुर।अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुररेस्पोजेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2017
मु0नं0 41/2017 सरकार बनाम राजकुमार
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार राजाखेडा

उपस्थिति :-

अपीलान्त की ओर से :- स्वयं अपीलान्त रधुनाथ (श्री विनोद भार्गव एडवोकेट)
रेस्पोजेण्ट की ओर से :- पैरोकार सरकार तहसीलदार राजाखेडा

निर्णय

दिनांक 28.05.2018

उक्त उनवानी अपील प्रकरण राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सदापुर तहसील राजाखेडा में सुनवाई हेतु रखा गया। अपील अपीलान्त द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि पटवारी हल्का सदापुर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अतिक्रमो अपीलान्त ने ग्राम बरसला की आराजी खसरा नम्बर 70 रकवा 15 बीधा 13 विस्वा में से रकवा 10 विस्वा किस्म चारागाह भूमि पर बाजरा की फसल बोकर नाजायज अतिक्रमण संवत 2074 खरीफ में कर लिया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमि मानकर बेदखल करने एवं अपीलान्त पर 50 गुना शास्ती राशि व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 06.10.2017 को दिया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। पत्रावली पर प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में की गई धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही तथा उस पर बेदखल करने

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

(2)

न्यायाति.जिला कलक्टर धौ0
वमुक: रधुनाथ बनाम सरकार
अपील संख्या 22/2017

के आदेश की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी जिससे प्रार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमि होना साबित नहीं होता था। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया था कि विवादित आराजी के बगल में प्रार्थी की आराजी होने के कारण अनजाने में विवादित आराजी पर भी काश्त हो गई। प्रार्थी ने अपना कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने द्वेषवश गलत रिपोर्ट करदी। वस्तुतः प्रार्थी ने नोटिस प्राप्त होते ही कब्जा छोड़ दिया था तथा बर्तमान में उसका कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को सजा के बिन्दु तक निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

यह प्रकरण दिनांक 28.05.2018 को राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सदापुर तहसील राजाखेडा में सुनवाई हेतु रखा गया जिसमें अपीलान्ट रधुनाथ स्वयं एवं रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार राजाखेडा उपस्थित हुये। उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी/अपीलान्ट श्री रधुनाथ ने प्रकरण में दिनांक 18.1.2017 एवं आज दिनांक 28.5.2018 को पुनः अपना शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें प्रार्थी/अपीलान्ट श्री रधुनाथ ने ग्राम बरसला तह0 राजाखेडा के आराजी ख0नं0 70 में रकवा 10 विस्वा पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसका कब्जा प्रार्थी/अपीलान्ट ने छोड़ दिया है तथा भविष्य में इस भूमि पर वह अतिक्रमण नहीं करेगा, अंकित किया है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि विवादित आराजी के बगल में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होने के कारण अनजाने में विवादित आराजी पर काश्त हो गई अतः प्रार्थी की आराजी की पैमाईश कराई जावे। प्रार्थी/अपीलान्ट ने सजा को माफ कर मुकदमें का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पटवारी हल्का के बयानो से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने संवत 2073 में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे मौके से वेदखल किया गया। पुनः अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। चूंकि प्रार्थी/अपीलान्ट रधुनाथ ने अपने शपथ पत्र में यह लिख कर दिया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 70 में रकवा 10 विस्वा पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसका कब्जा प्रार्थी/अपीलान्ट ने छोड़ दिया है तथा भविष्य में इस भूमि पर वह अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट के शपथ पत्र को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा द्वारा प्रकरण संख्या 41/2017 उनवानी सरकार बनाम रधुनाथ मे पारित निर्णय दिनांक 06.10.2017 में अपीलान्ट को दी गई 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

(3)

न्याय अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुक:राजकुमार बनाम सरकार
अपील संख्या 22/2017

तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। तहसीलदार राजाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, के बावत भौतिक सत्यापन करें। अगर अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी से कब्जा नहीं छोड़ा गया है तो अपीलान्त के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी तथा अपीलान्त द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश करने की स्थिति में उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(हरफूल सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
धौलपुर (सज0)